

वीडियो कान्फेन्सिंग के माध्यम से  
बैठक दिनांक 18.04.2024 अपराह्न 03.00 बजे  
संख्या- 590/आठ-5-2024-44विविध/2011टी.सी.

प्रेषक,

अरुण कुमार,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1 आवास आयुक्त,  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्,  
लखनऊ।
- 2 निदेशक,  
नगर भूमि सीमारोपण विभाग,  
उत्तर प्रदेश।
- 3 उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।
- 4 अध्यक्ष,  
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।
- 5 सचिव,  
रेरा, लखनऊ।
- 6 प्रबन्ध निदेशक,  
उ०प्र० मेट्रो रेल कारपोरेशन,  
लखनऊ।
- 7 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,  
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,  
उत्तर प्रदेश।
- 8 सदस्य सचिव/उपाध्यक्ष,  
स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों, व  
उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं  
अनुरक्षण समिति/लखनऊ विकास  
प्राधिकरण, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 15 अप्रैल, 2024

**विषय:**—मा० सर्वोच्च न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय/मा० अधिकरण में लम्बित अवमाननावादों एवं अन्य वादों तथा महाधिवक्ता साईट पर दर्शित ऐसे वादों, जिनमें प्रतिशपथ दाखिल किया जाना शेष है, के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक विषयक।

महोदय,

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से संबंधित मा० सर्वोच्च न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय/मा० अधिकरण में लम्बित अवमाननावादों एवं अन्य वादों तथा महाधिवक्ता साईट पर दर्शित ऐसे वादों, जिनमें प्रतिशपथ दाखिल किया जाना शेष है, के सम्बन्ध में विशेष सचिव (श्री उदय भानु त्रिपाठी) महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 18.04.2024 अपराह्न 03.00 बजे वीडियो कान्फेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आहूत की गयी है।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा० सर्वोच्च न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय/मा० अधिकरण में लम्बित अवमाननावादों एवं अन्य वादों तथा महाधिवक्ता साईट पर दर्शित ऐसे वादों, जिनमें प्रतिशपथ दाखिल किया जाना शेष है, से सम्बन्धित सुसंगत सूचनाओं सहित उक्त निर्धारित बैठक में ससमय वीडियो कान्फेन्सिंग के माध्यम से प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

उक्त निर्धारित बैठक में ससमय प्रतिभाग करने हेतु लिंक बैठक से पूर्व उपलब्ध करा दिया जायेगा।


भवदीय,  
*Arun Kumar*  
(अरुण कुमार)  
अनु सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) निजी सचिव, सचिव/समस्त विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
- (3) संयुक्त सचिव/उप सचिव/समस्त अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।

आज्ञा से,

  
(अरुण कुमार)  
अनु सचिव।